

**तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हरिगांव,
भोजपुर**

नाम:- विजय कुमार झा (सहायक प्राध्यापक)

कक्षा:- B.Ed 1st year

विषय:- C-4 language across the curriculum

प्रकरण:- त्रिभाषा सूत्र

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रस्तावित 'त्रि-भाषा सूत्र' को तमिलनाडु समेत अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों ने खारिज कर दिया है और यह आरोप लगाया है कि 'त्रि-भाषा सूत्र' के माध्यम से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। हिंदी भाषा की बाध्यता के विरुद्ध कई दशक पूर्व हुए शक्तिशाली आन्दोलन के बाद तमिलनाडु में द्विभाषा नीति (Two-language policy) को अपनाया गया था। वर्ष 2019 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया गया था तब भी दक्षिण भारतीय राज्यों ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के प्रस्ताव को वापस लेने के लिये केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था।

नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिये 'एजेंडा 2030' के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये 'त्रि-भाषा सूत्र' पर बल देने का निर्णय लिया गया। इस नीति ने संपूर्ण भारत में त्रि-भाषा सूत्र की उपयुक्तता पर बहस को फिर से प्रारंभ कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- 'त्रि-भाषा सूत्र' तीन भाषाएँ हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है।
- हालाँकि संपूर्ण देश में हिंदी भाषा में शिक्षण एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा था, लेकिन इसे सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में एक आधिकारिक दस्तावेज़ के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- त्रि-भाषा सूत्र कोई नया विषय नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सुझावों के लिये गठित राधाकृष्णन आयोग (1948-49) की रिपोर्ट से ही प्रारंभ हो गई थी। जिसमें तीन भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था का परामर्श दिया गया था। आयोग का कहना था कि माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाए।
- इसके बाद वर्ष 1955 में डॉ लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने प्रादेशिक भाषा के साथ हिंदी के अध्ययन का द्विभाषा सूत्र दिया और अंग्रेजी व किसी अन्य भाषा को वैकल्पिक भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा।
- कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में 'त्रि-भाषा सूत्र' को स्वीकार कर लिया गया परंतु इसे धरातल पर नहीं लाया जा सका।

क्या है त्रि-भाषा सूत्र?

- पहली भाषा: यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।
- दूसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेज़ी होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेज़ी होगी।
- तीसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी।

